

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :- अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 112/2016

1. लीलूराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी 4 के .एस.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गगांनगर(राज.)
2. कमलादेवी पुत्री श्री सुरजाराम पत्नि श्री गगांजल जाति नायक निवासी 23ए.पी.डी तहसील व जिला श्री गगांनगर(राज.)

बनाम

1. मांगूराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर(राज.)
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर(राज.)
3. राजस्थान जरिये श्रीमान् तहसीलदार(राजस्व)रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर (राज.)

प्रतिवादीगण:-

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :-

1. श्री परविन्द्र विश्‍नोई ,अधिवक्ता वादीगण
2. श्री बुधराम विश्‍नोई , अधिवक्ता प्रतिवादीगण

-: निर्णय :-

दिनांक:-28.10.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.04.2017 जारी कर "ग्राम करड़वाली तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 37/28 के मु.न.प. 64/1 प.न. 163/324 के 6.200है. व मु.न. 65/1 प.न. 164/324 के 6.2230है. कुल 12.4230है. संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। खातेदारों के हिस्सानुसार अच्छी से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का विभाजन कर पृथक-पृथक खातेदार दर्ज करने हेतु तहसीलदार रायसिंहनगर से विभाजन का प्रस्ताव मंगवाया जावे।" के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर से विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उनके पत्रांक भू.अ./2019/1827 दिनांक 14.06.2019 द्वारा प्राप्त हो चुका हैं। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार चक करड़वाली का रकबा खसरा में हैं, किलाबंदी नहीं हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर ने पक्षकारान द्वारा मौका पर काश्त अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया हैं-

1. लीलूराम पुत्र श्री सुरजाराम :- 64/1/2 व 65/1/2 की कुल 3.106है.
2. कमलादेवी पुत्री श्री सुरजाराम :- 64/1/3 व 65/1/3 की कुल 3.105है.
3. मांगूराम पुत्र श्री सुरजाराम :- 64/1/1 व 65/1/1 की कुल 3.106है.
4. ओमप्रकाश पुत्र श्री सुरजाराम :- 64/1/4 व 65/1/4 की कुल 3.106है.

तहसीलदार रायसिंहनगर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने विभाजन प्रस्ताव एवं प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार खाता विभाजन किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पर किसी पक्षकार ने कोई एतराज प्रकट नहीं किया हैं। तथा विभाजन प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने पर सहमति प्रकट की हैं। ऐसी स्थिति में वादपत्र वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता हैं।

लिहाजा वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर करड़वाली तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 37/28 के मु.न.प. 64/1 प.न. 163/324 के 6.200है. व मु.न. 65/1 प.न. 164/324 के 6.2230है. कुल 12.4230है. संयुक्त खातेदारी में वादी सं. 1-2 एवं प्रतिवादी सं. 1-2 के नाम दर्ज भूमि का पक्षकारान के मध्य तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित खाता

अर्पिता सोनी
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा(मौका पर काश्त अनुसार) अनुसार निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है-

1. वादी सं. 1 लीलूराम पुत्र श्री सुरजाराम के नाम मु.नं. 64/1/2 की 1.550 है. व मु.नं. 65/1/2 की 1.556 है. कुल 3.106 है.
2. वादी सं. 2 कमलादेवी पुत्री श्री सुरजाराम के नाम मु.नं. 64/1/3 की 1.550 है. व 65/1/3 की 1.555 है कुल 3.105 है.
3. प्रतिवादी सं. 1 मांगूराम पुत्र श्री सुरजाराम के नाम मु.नं. 64/1/1 की 1.550 है. व 65/1/1 की 1.556 है. कुल 3.106 है.
4. प्रतिवादी सं. 2 ओमप्रकाश पुत्र श्री सुरजाराम के नाम मु.नं. 64/1/4 की 1.550 है व 65/1/4 की 1.556 है. कुल 3.106 है

उक्तानुसार बारानी भूमि का राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के नाम से अलग अलग खाता में तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित नजरी नक्शा(मौका पर काश्त अनुसार) अनुसार अमल दरामद किया जावे।

इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अपिता सोनी)
(अपिता सोनी)
उपस्थित अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6-7 जाब्ता : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी राजस्व मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 112/2016

1. लीलूराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी 4 के .एस.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गगांनगर(राज.)
2. कमलादेवी पुत्री श्री सुरजाराम पत्नि श्री गगांजल जाति नायक निवासी 23ए.पी.डी तहसील व जिला श्री गगांनगर(राज.) वादीगण:-

बनाम

1. मांगूराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर(राज.)
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर(राज.)
3. राजस्थान जरिये श्रीमान् तहसीलदार(राजस्व)रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर (राज.) प्रतिवादीगण:-

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
-: निर्णय :-

दिनांक:- 28.10.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरुबरु हमारे बहाजरी श्री परविन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदई श्री बुधराम बिश्नोई मिनजानिब मुदायालाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:- वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर करड़वाली तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 37/28 के मु.न.प. 64/1 प.न. 163/324 के 6.200 है. व मु.न. 65/1 प.न. 164/324 के 6.2230 है. कुल 12.4230 है. संयुक्त खातेदारी में वादी सं. 1-2 एवं प्रतिवादी सं. 1-2 के नाम दर्ज भूमि का पक्षकारान के मध्य तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित खाता विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा(मौका पर काश्त अनुसार) अनुसार निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:-

1. वादी सं. 1 लीलूराम पुत्र श्री सुरजाराम के नाम मु.नं. 64/1/2 की 1.550 है. व मु.नं. 65/1/2 की 1.556 है. कुल 3.106 है.
2. वादी सं. 2 कमलादेवी पुत्री श्री सुरजाराम के नाम मु.नं. 64/1/3 की 1.550 है. व 65/1/3 की 1.555 है कुल 3.105 है.
3. प्रतिवादी सं. 1 मांगूराम पुत्र श्री सुरजाराम के नाम मु.नं. 64/1/1 की 1.550 है. व 65/1/1 की 1.556 है. कुल 3.106 है.
4. प्रतिवादी सं. 2 ओमप्रकाश पुत्र श्री सुरजाराम के नाम मु.नं. 64/1/4 की 1.550 है व 65/1/4 की 1.556 है. कुल 3.106 है

उक्तानुसार बारानी भूमि का राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के नाम से अलग अलग खाता में तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित नजरी नक्शा(मौका पर काश्त अनुसार) अनुसार अमल दरामद किया जावे।

डिक्री आज दिनांक 28.10.2020 को जारी की गई।

अर्पिता सोनी
(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
गगांनगर